न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हरलाल बनाम मनोज कुमार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मु.नं. - 157/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
30.01.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 30/01/24 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
157 / 2023	2023 / 1204	02.11.2023	30.01.2024

उनवान प्रकरण

1. हरलाल पुत्र फूलाराम आयु 64 वर्ष
2. नरेन्द्र पुत्र स्व0 घासीराम आयु 15 वर्ष
3. दीपेन्द्र पुत्र स्व0 घासीराम आयु 13 वर्ष

   वादीगण नम्बर 2 व 3 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति प्रेम देवी पत्नी स्व0 श्री घासीराम

4. प्रेम देवी पत्नी स्व0 घासीराम आयु 50 वर्ष
5. सुमन देवी पुत्री स्व0 घासीराम आयु 20 वर्ष
6. कोमल देवी पुत्री स्व0 घासीराम आयु 18 वर्ष

   समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम नालोट तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

–वादीगण–

Signature Not Verified

बनाम

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:06 IST
Reason: SelfAttested

1. मंगेज कंवर पत्नी स्व0 मानसिंह आयु 80 वर्ष

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

30/01/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

2. सुरज्ञान सिंह पुत्र स्व0 मानसिंह आयु 52 वर्ष

3. रघुवीरसिंह पुत्र स्व0 मानसिंह आयु 50 वर्ष

4. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 मानसिंह आयु 47 वर्ष

5. नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 ओमसिंह पुत्र मानसिंह आयु 18 वर्ष

6. राजकंवर पत्नी स्व0 ओमसिंह आयु 45 वर्ष

समस्त जाति राजूपत निवासीगण ग्राम जोरावर नगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

——प्रतिवादीगण—

उपस्थित :—

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री फूलचन्द सामोता, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से।

वादपत्र बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

—:: निर्णय ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:06 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण [illegible] ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि [illegible] खसरा नम्बर 90, 91 कुल किता 2 रकबा 4.96 हैक्टर तन् ग्राम नालोट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

20/01/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला—नीमकाथाना

(राज0) मे अवस्थित है। जिसमें हिस्सा 4/81 की खातेदारी मानसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत के नाम से दर्ज हैं। उक्त वर्णित भूमि मे दर्ज खातेदार नारायणसिंह पुत्र धनसिंह द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि मे हिस्सा 1/4 के भाग 101/496 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 22.02.1994 को वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 ता 6 के पिता व पति घासीराम दोनो के भाग समान खरीद कर लिया था तब से वादी संख्या 1 व वादीगण संख्या 2 ता 6 अपनी उक्त खरीदशुदा भूमि पर पूर्णतया काबिज होकर काश्त कार्य करते चले आ रहे हैं व वर्तमान मे भी वादीगण अपनी खरीदशुदा भूमि पर पूर्णतया काबिज काश्त हैं। वादी संख्या 1 व उसके भाई द्वारा खरीदशुदा भूमि मे विक्रय लेख की एक प्रति तत्कालीन पटवारी को खाता दर्ज करने बाबत् दी गयी थी तब उक्त पटवारी हल्का द्वारा विक्रय लेख अनुसार खातेदारी दर्ज कर दिये जाने बाबत् आश्वस्त कर दिया था कि आपके नाम खातेदारी विक्रय लेख के अनुसार दर्ज हो जावेगी। इस प्रकार वादीगण उसके भाई इस बाबत् आश्वस्त थे कि विक्रय लेख के अनुसार खातेदारी दर्ज हो जावेगी। इस बाबत् ज्यादा जांच पड़ताल व तहकीकात भी नही की गयी क्योंकि वादीगण अपनी खरीदशुदा भूमि पर पूर्णतया काबिज काश्त हैं। दिनांक 14.10.2023 को वादीगण दर्ज भूमि का अपने नाम किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उन्होने रिकार्ड देखकर बताया कि उक्त भूमि की आप लोगो के नाम खातेदारी दर्ज नही हुयी हैं तब वादीगण ने उक्त समस्त रिकार्ड आदि की नकल आदि प्राप्त की व अपने विक्रय लेख आदि को [illegible] के वारिसान से इस बाबत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

30/01/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

इत की तो उन्होने आनाकानी करते हुये मना कर दिया व भूमि को खुर्द-बुर्द करने की धमकी दी। इस कारण वादीगण का यह वादपत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। उक्त भूमि की खातेदारी वरवक्त विक्रय लेख नारायणसिंह के नाम दर्ज थी जो बाद मे प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 6 के नाम पिता व पति मानसिंह पुत्र धनसिंह के नाम दर्ज हुयी हैं बल्कि उक्त भूमि वादी संख्या 1 व वादीगण संख्या 2 ता 6 के पिता व पति की खरीदशुदा भूमि हैं। जिसकी खातेदारी वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के विधिक अधिकारी हैं। खातेदारी के अभाव में वादीगण को सख्त हकतल्फी हैं। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा खातेदारो को दी जाने वाली सुख सुविधाओं से भी वादीगण को वंचित रहना पड़ता हैं। इस कारण वादीगण को उपरोक्तानुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक हैं। वादीगण ने अपनी खरीदशुदा भूमि को मौके पर चारो तरफ सीमाओं से महदुद कर रखा हैं व उत्तरी व पूर्वी तरफ मिट्टी की डोल कदीमी लगा रखी हैं व पश्चिमी व दक्षिणी तरफ मिट्टी की सींवडोल लगा रखी हैं तथा रबी की फसल मे बाजरा काश्त किया था व वर्तमान में तारामीरा की फसल काश्त कर रखी हैं। यदि प्रतिवादीगण गलत खातेदारी का फायदा उठाकर भूमि को खुर्द-बुर्द कर दिया जावेगा या अन्तरण कर दिया जावेगा तो वादीगण अपनी खरीदशुदा भूमि से महरूम हो जावेगे इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण को उक्त गलत व अवैध कार्यवाही हेतु जरिए स्थाई [illegible] पाबंद कराने के विधिक अधिकारी हैं। बिनाय दावा दिनांक [illegible] दर्ज भूमि का किसान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:06 IST
Reason: SelfAttested

30/01/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी

क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उन्होने रिकार्ड देख बताया कि उक्त भूमि आप लोगो के नाम दर्ज नही हैं तब वादीगण ने समस्त रिकार्ड आदि की नकल प्राप्त की व अपने विक्रय लेख आदि को ढुंढकर खातेदार मानसिंह के वारिसो से इस बाबत् बातचीत वगैरह की तो उन्होने आनाकानी करते हुये भूमि को खुर्द–बुर्द व अन्तरण करने की धमकी दी जाने पर दावा पेश करना लाजिम आया हैं। खातेदार मानसिंह का देहान्त हो चुका हैं। जिसमें वारिस प्रतिवादीगण होने से उन्हे पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया हैं। वादीगण ने दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाया जावे :– घोषणा की जावे कि भूमि खसरा नम्बर 90, 91 कुल किता 2 रकबा 4.96 हैक्टर तन् ग्राम नालोट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में मृतक मानसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज हिस्सा 4/81 में वादी नम्बर 1 हिस्सा 1/2 व वादीगण संख्या 2 ता 6 हिस्सा 1/2 बराबर के काबिज खातेदार काश्तकार हैं व अपने नाम इसी अनुसार खातेदारी दर्ज कराने के विधिक अधिकारी हैं तथा राजस्व रिकार्ड से मृतक मानसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत का नाम हजफ किया जाने का आदेश दिया जाकर उक्तानुसार वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश प्रदान किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में करते हुए यह वाद वास्ते दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:06 IST
Reason: SelfAttested

30/01/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 की ओर से श्री फूलचन्द सामोता एड0 ने ईकबाली जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 7 की तामील जरिये साधारण तरीके से करवाई जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादीगण में वादी के मुख्य परीक्षण में वादी हरलाल पुत्र फूलाराम व वादी के साक्ष्य गवाह में प्रतिवादी संख्या 4 राजेन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये। वकील वादीगण ने वादपत्र में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश कर दिये जाने तथा शेष प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादीगण की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 जमाबन्दी, रजिस्टर्ड विकय लेख दिनांकित 22.02.1994, साक्ष्य वादीगण के मुख्य [illegible] गवाह द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन [illegible] से वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 90, 91 कुल किता 2 कुल र[illegible] 4.96 हैक्टर तन् ग्राम नालोट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
सत्यमेव जयते

30/01/24
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

पटवार हल्का जोरावर नगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के हिस्सा 4/8 की खातेदारी मानसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। खातेदार नारायण सिंह पुत्र धनसिंह के द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि में हिस्सा 1/4 के 101/496 भाग को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांकित 22.02.1994 को वादी संख्या 1 हरलाल व वादी संख्या 2 ता 6 के पिता व पति घासीराम दोनों के द्वारा समान भाग में खरीद किया जाकर खरीदशुदा भूमि पर पूर्णतया काबिज होकर काश्त किया जाना प्रकट होता हैं। जिसमें उक्त विक्रय लेख के आधार पर खातेदारी कयशुदा व्यक्तियों के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं होना प्रकट होता है। उक्त भूमि की खातेदारी वरवक्त विक्रय लेख नारायण सिंह के नाम दर्ज होना तथा नारायण सिंह से जरिये विक्रय लेख वादी संख्या 1 के द्वारा व वादीगण संख्या 2 ता 6 के पिता/पति के द्वारा कय किया जाना प्रकट होती है। वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा अपने नाम दर्ज करवाने हेतु उक्त प्रस्तुत वादपत्र को पेश किया जाना प्रकट होता है। जिसके समर्थन में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के द्वारा वादीगण के पक्ष में इकबालिया जवाब दावा पेश कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाना प्रकट होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में वादी हरलाल पुत्र फूलसिंह [illegible] प्रतिवादी संख्या 4 राजेन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह के लिखित [illegible] मौके पर कब्जा काश्त होना प्रकट होता है। वादीगण का उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी * श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
सत्यमेव जयते

30/01/24
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

घोषणा किये जाने हेतु वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 90, 91 कुल किता 2 रकबा 4.96 हैक्टर तन् ग्राम नालोट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में मृत्तक मानसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज हिस्सा 4/81 में वादी नम्बर 1 हिस्सा 1/2 व वादीगण संख्या 2 लगायत 6 हिस्सा 1/2 बराबर के काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड से मृत्तक मानसिंह पुत्र धन सिंह जाति राजपूत का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्तानुसार भूमि का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी की भूमि के कब्जा में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे, ना ही बेदखल करे, ना ही दिगर से करावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आ[illegible] जाता है कि वे प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अधिनियम की जांच कर [illegible]नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जा[illegible] सुनिश्चित करें। तदनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

30/01/24
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

30/01/24

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जिला-नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

यह निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/01/24

दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जिला-नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:06 IST
Reason: SelfAttested